तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 62/2017(जी.सी.एम.एस. नंबर 2017/0254) बअनवान खेताराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

खेताराम व अन्य

बनाम

रूपाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री एम.एस. राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या दो से चार
3. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच व छः
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

आदेश

दिनांक 02.04.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2012 अनवान खेताराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 सितंबर 2014 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 48 रकबा 98.06 बीघा(वर्तमान खसरा नंबर 48 रकबा 49.03 बीघा, खसरा नंबर 228/48 रकबा 49.03 बीघा) अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तांतरण करने पर आमादा है। इसलिए अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 62/2017(जी.सी.एम.एस. नंबर 2017/0254) बअनवान खेताराम व अन्य बनाम रुपाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विना कोई ठोस कारण दिये स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में विचाराधीन चल रही थी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस हेतु विचाराधीन थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदु पर अपना मत प्रतिपादित किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को निरस्त किया जावे एवं मामले को प्रतिप्रेषित किया जाकर वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट एक से तीन के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 14.06.1967 के बेचाननामे को लगभग 50 वर्षो बाद प्रश्नगत करते हुए वाद प्रस्तुत किया है जो सद्भाविक नहीं है। अपीलांट्स द्वारा सभी क्रेतागणों को पक्षकार संयोजित किये विना वाद प्रस्तुत किया है जो पक्षकारान् के कुसंयोजन के आधार पर खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलांट्स के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरंतर जारी रखना उचित नहीं समझते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 62/2017(जी.सी.एम.एस. नंबर 2017/0254) बअनवान खेताराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2012 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 48 रकबा 49.03 बीघा के संबंध में 15 दिवस तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2014 को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 24.12.2012 को निरंतर रखा जाना उचित नहीं समझा है। यह उल्लेखनीय है कि अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड एवं उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 4.03 बीघा रेस्पोडेंट्स की खरीदसुदा भूमि है तथा वर्तमान में रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत किये गये बेचाननामे की वैधता का निर्णय एवं वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2014 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर